न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1027-दो/2009 विरूद्ध आदेश दिनॉक 10-5-2009 -पारित व्दारा - आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 7/2007-08 विविध

1- रामश्रीवाई पत्नि स्व. हुकुम सिंह
2- शेर सिंह 3- रामवीर सिंह
4- महावीर सिंह 5- अजयपाल सिंह
सभी पुत्रगण स्व. हुकुम सिंह
ग्राम मेहदा तहसील लहार जिला भिण्ड ---अपीलांट्स

विरूद्ध

महिला सुमन पत्नि स्व. रामजीलाल
ग्राम मेहदा तहसील लहार जिला भिण्ड ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट्स के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(रिस्पाण्डेन्ट के विरूद्ध पूर्व से एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 6-1-2017 को पारित)

यह अपील आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 7/2007-08 विविध में पारित आदेश दिनांक 19-5-2009 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(4) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार लहार व्दारा आदेश दिनांक 25-2-19980 से किये गये भूमि बन्टन के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी लहार ने आदेश दिनॉक 23-1-1995 से तहसीलदार का भूमि बन्टन आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पुनः भूमि बन्टन की कार्यवाही की जाय। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 321/99-2000 प्रस्तुत हुई, जो आदेश दिनांक 31-7-2001 से अदम पैरबी में निरस्त हुई। आवेदकगण ने अदम पैरबी निरस्त करने हेतु आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष संहिता की धारा 35(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रकरण कमांक 7/2007-08 विविध पर पंजीबद्ध किया गया। आयुक्त, चंबल संभाग ने आदेश दिनांक 19-5-2009 से धारा 35(3) का आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(4) के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलांट्स के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। रिस्पा0 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ अपीलांट्स के अभिभाषक के तर्को के कम में आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 7/2007-08 विविध में पारित आदेश दिनांक 19-5-2009 के परीक्षण पर पाया गया कि आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 19-5-09 में अंकित किया गया है कि आयुक्त के समक्ष निगरानीकर्ता हुकुम सिंह की मृत्यु होने पर उसके वारिसान की स्थिति यह रही है कि मृतक की पत्नि

पर्दानसीन महिला है जो कानून की जानकारी से अनभिज्ञ है तथा मृतक के दो पुत्र फौज में सीमा पर तैनात है - स्पष्ट है कि मृतक के वारिसान को कानूनी अनभिज्ञता एंव अभिभाषक व्दारा समय पर वारिसान को रिकार्ड पर लेने की सूचना न देने तथा पुत्रों के फौज में सीमा पर तैनात रहने के आधार निगरानी प्रकरण को पुर्नस्थापित करने के लिये पर्याप्त है इसके वाद भी आयुक्त व्दारा धारा 35(3) का आवेदन निरस्त करना उचित नहीं है जिसके कारण आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा पारित आदेश दिनांक 19-5-2009 अपीलांट्स को न्याय पाने से बंचित करने की श्रेणी में माना जावेगा।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 7/2007-08 विविध में पारित आदेश दिनांक 19-5-2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अपील स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि वह निगरानी क्रमांक 321/99-2000 में हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर 90 दिवस के भीतर प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर